

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

॥ प्रेस विज्ञप्ति ॥

दिनांक—30.03.2020

समय—07:00 बजे अप०

COVID-19 Virus के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के आलोक में निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:—

1. राज्य के बाहर से आ रहे लोगों के लिये सीमावर्ती जिलों में राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किये गये **सीमा आपदा राहत केन्द्रों** में रहने, भोजन एवं स्वास्थ्य जाँच आदि की व्यवस्था की गयी है। स्वास्थ्य जाँच एवं भोजन कराने के पश्चात इन्हें सरकार के द्वारा बसों के माध्यम से उनके गाँव से संबंधित जिला मुख्यालय तक पहुँचाया जा रहा है। तत्पश्चात सरकारी वाहन के द्वारा इन्हें उनके गाँव के स्कूलों में लाया जा रहा है, जहाँ इन्हें 14 दिनों तक quarantine में रखा जाएगा। इसके अनुपालन हेतु संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुखिया, सरपंच, पंच एवं अन्य सरकारी कर्मियों को निदेश दिया गया है।

आज **13000 से अधिक लोगों को** उनके गाँव के विद्यालय तक पहुँचाने की कार्रवाई की जा रही है, जहाँ उन्हें quarantine में 14 दिनों तक रखा जायेगा।

2. राज्य के शहरी इलाकों में निर्धन, निराश्रित आदि व्यक्तियों के लिये **कुल 120 आपदा राहत केन्द्र** संचालित किये गये, जिसमें आवासन के साथ-साथ भोजन की भी व्यवस्था की गयी है। उक्त आपदा राहत केन्द्रों में लगभग **7170 लोगों को भोजन कराया गया** है। आपदा राहत केन्द्र में social distancing का विशेष ध्यान रखने का निदेश दिया गया।

3. 10 मार्च के पश्चात विदेश एवं अन्य राज्यों से यात्रा कर बिहार लौटें यात्रियों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है एवं quarantine के दृष्टिकोण से उनका tracking प्रारम्भ कर दिया गया है।

3. राज्य में लागू lockdown के आलोक में सरकारी आदेश का उलंघन करने पर कुल 76 FIR दर्ज कराया गया है। साथ ही कुल 1761 वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 179 के तहत कार्रवाई की गयी है।